

रूप क्रमांक-५
(देखिये नियम ४)

फर्म की रचना में परिवर्तन या फर्म के भंग होने का सूचना पत्र
(फर्मों के रजिस्ट्रार को प्रकरण - पत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत या प्रेषित)

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, १९३२ की धारा ६३(१) के अधीन इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि:-

(१) फर्म की रचना में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन किया गया है:-

सम्मिलित होने वाले साझेदार का नाम और पूरा पता और उसके फर्म में सम्मिलित होने का दिनांक	निकलने वाले साझेदार का नाम और पूरा पता और उसके साझेदार न रहने का दिनांक

स्थान
दिनांक

सम्मिलित होने वाले, चालू रहने वाले या निकलने वाले साझेदार या उसके विशेष रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(२) फर्म पंजीयन क्रमांक
दिनांक से भंग कर दी गई है।

स्थान
दिनांक

भंग होने के तुरंत पूर्व व्यक्ति के साझेदार या उसके विशेष रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर